ऑन लाईन नं. RCMS 2025/155

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार , आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 37/2025

1. मिलखराज पुत्र श्री रामचन्द्र जाति अरोड़ा निवासी लठ्ठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट

बनाम

1. सन्तोषदेवी पुत्री रामचन्द जाति अरोड़ा निवासी लठ्ठावाली तहसील श्रीगंगानगर हाल आवाद सरदारगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर ।
3. बलदेव प्रकाश पुत्र श्री रामचन्द्र जाति अरोड़ा निवासी लठ्ठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

— रेस्पोडेंटान

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार श्रीगंगानगर का दिनांक 27.08.2025 जिसकी रूह से जमावन्दी में दुरूस्ती करने का आदेश पारित किया गया वमुराद मनसुख है।

उपस्थित :

1. श्री ओमप्रकाश बतरा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री प्रदीप सिहाग , रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 3

:: आदेश :: दिनांक :— 11.11.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के पिता रामचन्द पुत्र श्री दयालाराम के नाम चक 10 एच.एच. तहसील श्रीगंगानगर में मुरब्बा नम्बर 32 में 12.10 बीघा और मुरब्बा नम्बर 33 में 6 बीघा 5 बिस्वा रकबा का खातेदार था। अपीलांट के पिता की मृत्यु हो गयी थी। अपीलांट के पिता की मृत्यु होने के बाद अपीलांट के नाम 949/4743 हिस्सा दर्ज किया गया था तथा अपीलांट की माता के नाम 949/4743 हिस्सा दर्ज किया गया तथा अपीलांट के भाई कुशालाराम के नाम 949/4743 हिस्सा दर्ज किया गया तथा पवन कुमार पुत्र रामचन्द, बलदेव प्रकाश पुत्र रामचन्द के नाम भी इतना रकबा दर्ज किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2053 व नकल जमावन्दी सम्वत् 2074 से 2076 शामिल अपील है। इसी बीच में अब रेस्पोडेन्ट संख्या—3 ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया कि जमाबन्दी सम्वत् 2057 से आज तक सन्तोष कुमारी पुत्री रामचन्द के नाम जमाबन्दी में दर्ज नहीं किया गया इसलिए जमाबन्दी में दुरूस्ती की जावें जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12.08.2025 को पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की जिस पर बिना अपीलांट को सुने ही बिना अधिकार के जमावन्दी में रेस्पोडेन्ट संख्या—1 का नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया जबकि 1996 के बाद दुरूस्ती करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं था बल्कि भू—राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत दुरूस्ती करने का अधिकार

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

उपखण्ड अधिकारी को है, मगर तहसीलदार द्वारा बिना अधिकार के जमाबन्दी में रेस्पोडेन्ट संख्या–1 का नाम दर्ज करने का आदेश दिया जिसके खिलाफ अपीलांट इस न्यायालय में अपील पेश कर रहा है जो निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर अपील पेश है:–

1. यह कि हुक्म अदालत नहलात का गैर कानूनी है जो दोबारा गौर मिसल के हैं। नकल फैसला शामिल अपील है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह गैरकानूनी है क्योंकि नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076 की जामबन्दी में रेस्पोडेन्ट संख्या–1 का नाम दर्ज नहीं है तथा रामचन्द के मरने के बाद सम्वत् 2057 से लेकर सम्वत् 2076 तक रेस्पोडेन्ट संख्या–1 का नाम दर्ज नहीं था इसलिए तहसीलदार को दुरुस्ती करने का अधिकार नहीं है बल्कि राजस्व भू–अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है लेकिन ऐसा कोई प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि तहसीलदार को दुरुस्ती करने का अधिकार नहीं था। इसलिए उसके द्वारा पारित आदेश गैर कानूनी होने के कारण निरस्त करने योग्य है।
3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसे प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है इसलिए सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ना करने के कारण प्रार्थना पत्र प्रथम स्टेज पर ही खारिज किया जाना चाहिए , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा ना करके कानूनी भूल की है, इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य हैं।
4. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित किया गया है उसमें सभी काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया , बिना पक्षकार बनाये ही आदेश पारित करके कानूनी भूल की है इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।
5. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सबूत व सुनवाई का मौका नहीं दिया गया इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।
6. यह कि चक 10 एच.एच. पटवार हल्का 8 एच.एच. का क्षेत्राधिकार चूनावढ़ तहसीलदार को है। तहसीलदार श्रीगंगानगर को नहीं है। कानूनन तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेश पारित नहीं करना चाहिए था।
7. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने जाल–साजी तथा कांट छांट कर के आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त करने योग्य है।
8. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी से रिपोर्ट आने के बाद दर्ज करना चाहिए था तथा सभी काश्तकारों को सुनकर आदेश पारित करना चाहिए था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रावधानों के तहत आदेश पारित नहीं किया इसलिए आदेश आदेशों की परिभाषा में नहीं आता है, इसलिए आदेश निरस्त करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27.08.2025 को निरस्त किया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी के पिता रामचन्द वल्द दयालाराम के नाम से चक 10 एच.एच. तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 32 में 12.10 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 33 में 6.5 बीघा यानि कुल 17 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। प्रार्थी के पिता स्व0 रामचन्द के कुल चार पुत्र कुशाल चन्द, गिलखाराम उर्फ गिलखराज, बलदेव प्रकाश , पवन कुमार एवं एक पुत्री संतोष रानी पत्नी ईश्वरी देवी वारिसान के रूप में थी। प्रार्थी के पिता की मृत्यु होने के पश्चात उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का विरास्तन इन्तकाल संख्या 183 दिनांक 08.03.1996 को समस्त वारिसान चार पुत्र , एक पुत्री व पत्नी के नाम दर्ज कर किया गया। उसके उपरान्त जमाबंदी सम्वत् 2053 से 2056 में खाता संख्या 3 में उक्त भूमि उसी अनुसार दर्ज कर दी गई। आगामी चौसाला जमावन्दी सम्वत् 2057 से 2060 जब ऑनलाईन बनाई गई तो सहवन से स्व0 रामचन्द की पुत्री सन्तोष कुमारी का नाम दर्ज होने से रह गया था अर्थात रामचंद के हिस्से की भूमि चार पुत्रो एवं पत्नी के नाम 1/5 हिस्सा में दर्ज हो गई। इसके पश्चात प्रार्थी की माता की मृत्यु होने के पश्चात ईश्वरी देवी के हिस्से की भूमि समस्त वारिसान के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गई परन्तु पिता रामचन्द के हिस्से की भूमि संतोष कुमारी (पुत्री) के नाम दर्ज होने से रह गई थी जिस पर दिनांक 11.08.2025 को एक प्रार्थना पत्र उक्त संशोधन हेतु तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर शुद्वि पत्र के माध्यम से प्रविष्टि क्रमांक संख्या 7 दिनांक 03.09.2025 को दर्ज कर वर्तमान जमाबंदी में स्व0 रामचन्द की भूमि का अंकन 1/5 हिस्से के रूप में कर दिया गया जो पूर्व में जमाबन्दी सम्वत् 2053–56 में दर्ज था, जो तहसीलदार श्रीगंगानगर विधिनुसार भू–राजस्व अधिनियम के नियम 122–123 में निर्धारित प्रावधानों के तहत जांच कर हल्का पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त कर वर्तमान जमाबंदी में संशोधन/शुद्विपत्र जारी किया गया है। भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियमों के तहत अर्थात नियम 122–123 के तहत जमाबन्दी में प्रविष्टि करते समय हुई भूल को सुधारा गया है जिसमें किसी भी खातेदार के हक व अधिकार को क्षति कारित नहीं की गई है अर्थात किसी के हिस्से को प्रभावित नहीं किया गया है। ऐसी भूल सुधार जो असावधनी पूर्वक कोई लिपिकीय अंक गणित की भूल से हो गई हो , तो उसे दुरस्त करने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को प्राप्त है जिसके तहत ही तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा शुद्विपत्र जारी किया गया है। अतः अपील अपीलांट पोषनीय नहीं होने के कारण खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा निम्न नजीर पेश की गईः–

आर.आर.डी. 1991 पेजः–293

Rajasthan Land Revenue (Land ARecords) Rules, 1957,Rule 123- Under this Rule, the ATehsildar has powers to correct clerical or arithmetic mistakes inadvertently made in the mutation-He is not competent to make any alteraltion affecting the rights of the parties- In no case can he do so behind the back of the affected party.(Para 3)

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट के पिता रामचन्द पुत्र श्री दयालाराम के नाम चक 10 एच.एच. तहसील श्रीगंगानगर में मुरब्बा नम्बर 32 में 12.10 बीघा और मुरब्बा नम्बर 33 में 6 बीघा 5 बिस्वा खातेदरी भूमि थी। अपीलांट के पिता की मृत्यु हो गयी थी। अपीलांट के पिता की मृत्यु होने के बाद अपीलांट के नाम 949/4743 हिस्सा दर्ज किया गया था तथा अपीलांट की माता के

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

नाम 949/4743 हिस्सा दर्ज किया गया तथा अपीलांट के भाई कुशालाराम के नाम 949/4743 हिस्सा दर्ज किया गया तथा पवन कुमार पुत्र रामचन्द, बलदेव प्रकाश पुत्र रामचन्द के नाम भी इतना रकबा दर्ज किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–3 बलदेव प्रकाश पुत्र रामचन्द द्वारा तहसीलदार श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि जमाबन्दी सम्वत् 2057 से लेकर 2076 तक सन्तोष कुमारी पुत्री रामचन्द का नाम जमाबन्दी में दर्ज नहीं किया गया इसलिए जमाबन्दी में दुरूस्ती की जावें जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12.08.2025 को पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की जिस पर बिना अपीलांट को सुने ही बिना अधिकार के जमाबन्दी में रेस्पोडेन्ट संख्या–1 का नाम 25 वर्ष बाद दर्ज करने का आदेश पारित दिया जबकि वर्ष 1996 के बाद से दुरूस्ती करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं था, बल्कि भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत दुरूस्ती करने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को है। अपीलार्थी की बहन सन्तोषदेवी जिसका जमाबन्दी में नाम छुटा है उसके द्वारा जमाबन्दी में दुरूस्ती करने का कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया बल्कि रेस्पोडेन्ट संख्या–3 बलदेव प्रकाश पुत्र रामचन्द के प्रार्थना पत्र पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दुरूस्ती का आदेश पारित किया गया जो विधि विरूद्व है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27.08.2025 जिसकी रूह से जमाबन्दी में दुरूस्ती की गई निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में निम्न नजीरे पेश की हैः–

1. आर.आर.टी. 2011–12 (Supp.) पेज– 284

Rajasthan Land Revenue Act, 1956-Sec. 136-Application for correction of entries allowed-Correction of entries in the record could have been corrected by filling suit & not u/Sec. 136-Order passed under summary proceedings is not proper & liable to be set aside.

2. 2021(1) डी.एन.जे.(Rev.) पेज– 624

Rajasthan Land Revenue Act, 1956-Sec. 136-Application to delete the entries changed by the revenue officials-Entries in name of the appellants have been changed-Application allowed-additional Divisional Commissioner set aside the order and remanded the case to decide afresh after hearing the interested parties-Held, Order set aside and directed to decide afresh after summoning the present revenue record and the site inspertion report.

3. आर.आर.टी. 2021(2) पेज–1155
4. आर.आर.टी. 2013(1) पेज–391
5. आर.आर.टी. 2021 (1) पेज–622
6. आर.आर.टी. 2018 (2) पेज–1158

Rajasthan Land Revenue Act, 1956-Sec. 136-SDO ordered to make correction in the 'Naksha trace'-SDO has jurisdiction to make correction in the record-Concurrent findings of Courts below-Held, No error in the order.

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध कराये गये अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 27.08.2025 जिसकी रूह से जमाबन्दी में दुरूस्ती की गई के विरूद्व पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या –3 बलदेव प्रकाश पुत्र रामचन्द द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर जमाबन्दी सम्वत् 2057 से लेकर 2076 तक सन्तोष कुमारी पुत्री रामचन्द का नाम जमाबन्दी में दर्ज नहीं होने के बावजूद अपीलांट सुने बिना जमाबन्दी में रेस्पोडेन्ट संख्या–1 का नाम 25 वर्ष बाद दर्ज करने का जो आदेश पारित दिया वह विधि विरूद्व है क्योंकि जमाबन्दी में दुरूस्ती करने का क्षेत्राधिकार प्रथमतया भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत अधिकार उपखण्ड अधिकारी को है, जहां लिपिकीय भूल से त्रुटि होना पाया जाता है तो सम्बन्धित तहसीलदार सुओमोटो लिपिकीय त्रुटि मु दुरूस्ती कर सकता है। उक्त प्रकरण बिना प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र, किसी अन्य वारिस के प्रार्थना पत्र पर 25 वर्ष पुरानी त्रुटि को दुरूस्त करने का जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया वह बिना क्षेत्राधिकार के व क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है, जो स्वतः ही निरस्त योग्य है। फलस्वरूप अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2025 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावें एव रिकार्ड लौटाया जावें पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner